फौज.मूल.प्रकरण संख्या 163/19 अमराराम बनाम महेन्द्र सिंह

02.04.2026

परिवादी अमराराम अनुपस्थित की दर. हाजरी माफी पेश हुई जो बाद सुनवाई आज के लिये स्वीकार की गई। अभियुत महेन्द्र सिंह अनुपस्थित। जिसका जारी शुदा वारंट अदम तामील प्राप्त हुआ। साक्ष्य मफरूरी में तामील कुनिन्दा पवन जाट एफ सी नम्बर 1386 पुलिस थाना बोराडा के बयान लिये गये। जिसने अपने बयानों में अभियुक्त महेन्द्र सिंह का कोई अता पता नहीं होने तथा उसके निकट भविष्य में नहीं मिलने के तथ्य प्रकट किये साक्ष्य मफरूरी में गिरफतारी वारंट मार्क 01 है जिस पर ए से बी उसकी अदम तामील रिपोर्ट तथा सी से डी उसके हस्ताक्षर है। प्रशासक हिसामपुर पं.सं. देवली जिला टोंक द्वारा सम्पत्ति के सम्बन्ध में जारी प्रमाण पत्र मार्क 02 है जिसके अनुसार अभियुक्त के नाम कोई सम्पत्ति दर्ज होना नहीं बताया गया। पटवारी हिसामपुर द्वारा जारी पत्र मार्क 03 है जिसके अनुसार अभियुक्त के नाम कोई भूमि दर्ज होना नहीं बताया गया। उपरोक्त बयानों के अवलोकन से दृष्टिगत होता है कि अभियुक्त महेन्द्र सिंह के निकट भविष्य में मिलने की संभावना प्रतीत नहीं होती है। ऐसा प्रतीत होता है कि वह अपनी सकूनत से रूहपोश है। अतः उपरोक्त परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए अभियुक्त महेन्द्र सिंह को मफरूर घोषित किया जाता है। उसके विरूद्ध यदि धारा 446 सीआरपीसी की कार्यवाही नहीं खोली गई है तो खोली जावे तथा धारा 82-83 सीआरपीसी की कार्यवाही भी पृथक से खोली जावे। अभियुक्त का स्थाई गिरफतारी वारंट जारी कर सम्बन्धित पुलिस थाने से मफरूरी के इन्द्राज कमांक मंगवाये जावे। पत्रावली पर नोट अंकित किया जावे कि उक्त प्रकरण में मुल. मफरूर है पत्रावली का कोई भी भाग नष्ट नहीं किया जावे। अतः अभियुक्त के उपस्थित आने पर उसके विरूद्ध कार्यवाही पुनः प्रारम्भ की जावेगी। तब तक पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील प्रविष्ठ लेख भण्डार रहे।

Pawan
FC 1386

न्यायिक मजिस्ट्रेट
... जिला ...